

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला विदिशा (म0प्र0)

क्रमांक / टी-3 / पौ.स. / अनुज्ञप्ति / 2018-19 / 9578

विदिशा, दिनांक: 12.11.2018

क्रमांक / टी-3 / पौ.स. / अनुज्ञप्ति / 2021-22 / 5359

विदिशा, दिनांक: 05/08/2021

प्रारूप-3

[(नियम 10 का उपनियम (4)]

कीटनाशियों के विक्रय, स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन अथवा
वितरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्यांक : 184

जारी दिनांक : 12.11.2018

मेसर्स प्रगति ट्रेडर्स, कीटनाशियों के विक्रय, स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए निम्नानुसार स्थल हेतु अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

मेसर्स प्रगति ट्रेडर्स, पता बरेठ रोड बी.एम.सी. स्कूल के पास गंजबासौदा वि.खण्ड : गंज बासौदा

(1) प्रोपराईटर श्री प्रशांत रघुवंशी पिता: श्री अमानसिंह रघुवंशी

(2) बिक्री/स्टॉक/कीटनियंत्रण प्रचालन : विशेषज्ञ स्टॉफ का नाम और पता प्रशांत रघुवंशी " डिप्लोमा इन एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेस फॉर इनपुट डीलर्स

पता : S/O अमानसिंह, ग्राम हतोडा, बासौदा, जिला विदिशा 464221

कीटनाशकों निर्माता कंपनियों के नाम एवं उत्पाद संख्या :- प्रपत्र-1 में दर्शित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के अनुसार

अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन उपबंधो तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और समाप्त होने के नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।



(पी.के. चौकसे)
अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं.)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि
विकास, जिला-विदिशा (म.प्र.)

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति उत्तराधिकार में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है, रखी जाएगी और कीटनाशी निरीक्षक, अनुज्ञापक अधिकारी या इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जब अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
2. अनुज्ञप्ति में वर्णित विशेषज्ञ स्टॉफ में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट तत्काल अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी।
3. यदि कोई अनुज्ञापनधारी, कोई अतिरिक्त कीटनाशी बेचना, मण्डारण करना अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगाना चाहता है तो वह निर्धारित फीस का भुगतान करके इस प्रकार के प्रत्येक कीटनाशी को अनुज्ञप्ति में जुड़वाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को आवेदन कर सकता है।
4. अनुज्ञापनधारी, कीटनाशी अधिनियम 1968 के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त नियमों का पालन करेगा।
5. अनुज्ञापनधारी परिशिष्ट 'क' के अनुसार फार्मेट में अलग से 'अवसान' हो चुके कीटनाशियों की तारीख का अभिलेख रखेगा।
6. अनुज्ञापनधारी परिशिष्ट 'ख' के अनुसार फार्मेट में कीटनाशियों की बिक्री/वितरण का अभिलेख रखेगा एवं अनुज्ञापन अधिकारी, कीटनाशी निरीक्षक को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
7. अनुज्ञापनधारी को परिशिष्ट 'ड' के अनुसार कीटनाशकों के संबंध में लगे व्यक्तियों का समय-समय पर चिकित्सकीय परीक्षण का अभिलेख रखेगा।
8. सभी रजिस्ट्रारों को अनुज्ञापनधारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा और केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कीटनाशी निरीक्षक एवं अनुज्ञापन अधिकारी
9. अथवा अन्य किसी अधिकारी को समय-समय पर जांच के लिए प्रस्तुत करेगा।
10. निर्धारित शुल्क जमा कर अनुज्ञप्ति में सम्मिलित कराये बगैर अतिरिक्त अन्य किसी निर्माता कंपनी के उत्पादों का विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण नहीं कर सकेगा।
11. सालान प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने के पश्चात पुनः वैधता हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(पी.के. चौकसे)
अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं.)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि
विकास, जिला-विदिशा (म.प्र.)

टी-3/पौ.स./अनुज्ञप्ति/2021-22/5359

विदिशा, दिनांक 05/08/2021

प्रपत्र : 1

अनुज्ञप्ति संख्यांक : 184

जारी दिनांक : 12.11.2018

कीटनाशकों के विक्रय हेतु निर्माताओं/वितरकों की सूची मेसर्स प्रगति ट्रेडर्स,
बरेठ रोड बी.एम.सी.स्कूल के पास गंजबासौदा, विकासखण्ड गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

क्र.सं.	संलग्न निर्माता कंपनियों के प्रिंसीपल सर्टिफिकेट का विवरण	विक्रेता फर्म का नाम	संचालनालय से अभिप्रमाणित किये गये उत्पादों की संख्या	वैद्यता दिनांक
1	M/s Ju Agri Sciences Pvt. Ltd 118-A, GH-II Paschim Vihar New Dehli-110063	स्वयं	177	31.12.2021
2	M/s Crop Chemicals India Ltd. 401-B, IV th Floor, Usha Kiran Building, Azadpur Commercial Complex, New Delhi-110033	स्वयं	226	31.12.2021
3	M/s Sumil Chemical Industries Pvt. Ltd 604 Business Point 349 Western Express Highway Andheri (E) Mumbai - 400069 (M.H.)	स्वयं	117	31.12.2021
4	M/s Sulphur Mills Ltd. 604 Business Point 349 Western Express Highway Andheri (E) Mumbai - 400069 (M.H.)	मे सुमिल केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा.लि	67	31.12.2021
5	M/s Indofil Industries Ltd. C/o Rajeev Enterprises 126/2/1, S.R. Compound, Lasudia Mori, Dewas Naka A B Road Indore (M.P.)	स्वयं	46	31.12.2021

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रिंसीपल सर्टिफिकेट ।



(पी.के.चौकसे)
अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं.)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि
विकास, जिला-विदिशा (म.प्र.)

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला विदिशा (म0प्र0)

क्रमांक/टी0-6/उर्व. लायसेंस/2021-22/5341-42
प्रति,

विदिशा दिनांक:-5/8/2021

मेसर्स - प्रगति ट्रेडर्स
कॉन्वेट स्कूल के पास बरेठ रोड गंजबासौदा
विकासखण्ड गंजबासौदा
जिला विदिशा
प्रो. प्रशांत रघुवंशी

विषय:- उर्वरक व्यापार हेतु लायसेंस नवीन/नवीनीकरण/अधिकार पत्र संशोधन बावत् ।

विषयान्तर्गत आपका उर्वरक व्यापार (थोक/फुटकर) हेतु पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्नानुसार आपकी ओर भेजा जा रहा है :-

1. पंजीयन क्रमांक T-6/105B वैधता अवधि 04/08/2026 तक है ।
2. जिन निर्माता कम्पनी का उर्वरक बैचने हेतु अधिकृत किया गया है उन्ही निर्माता कम्पनी का उत्पाद विक्रय करें अन्य का नहीं ।
3. उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 की धाराओं का यदि आपके द्वारा उल्लंघन किया जाता है उस स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
4. उर्वरक भण्डारण एवं वितरण का मासिक प्रतिवेदन (थोक/फुटकर) का अलग-अलग निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भेजना आवश्यक है ।
5. डी.बी.टी. व्यवस्था लागू होने से पीओएस मशीन लेना अनिवार्य है ।

संलग्न :- लायसेंस एवं नक्शा ।

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला विदिशा

क्रमांक/टी0-6/उर्व. लायसेंस/2021-22/5341-42 विदिशा दिनांक:-5/8/2021
प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड गंजबासौदा जिला विदिशा की ओर नक्शा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला विदिशा

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला-विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक / टी.-6 / उर्व. / पंजी / 2021-22 / 5341-42

विदिशा, दिनांक 5/8/2021

संप्रतीक
प्रारूप "ख"
(खण्ड 9 देखिये)

वही संख्या.....रजिस्ट्रीकरण संख्या: T-6/105B जारी करने की तारीख 05/08/2021
तारीख तक विधिमन्य 04/08/2021 राज्य में थोक/खुदरा व्याहारी के रूप में उर्वरकों का
भंडारण का कारोबार करने के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।


मे0- प्रगति ट्रेडर्स, कॉन्वेंट स्कूल के पास, बरेठ रोड गंजबासौदा विकासखण्ड गंजबासौदा जिला विदिशा
राज्य में नीचे विनिर्दिष्ट स्थान पर थोक/खुदरा में उर्वरकों के भंडारण का कारोबार करने के लिये
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा उर्वरक (नियंत्रण)
आदेश 1985 के उपबंधों के अधीन रहते हुये होगा।

स्थान का वर्ण और कारोबार का प्रकार

वह नाम और अभिनाम जिससे कारोबार किया जाता है	विक्रय डिपों का अवस्थान	विक्रय डिपों से संलग्न गोदाम का अवस्थान	उर्वरकों की किस्म	प्रदाय का स्रोत
मे. प्रगति ट्रेडर्स कॉन्वेंट स्कूल के पास बरेठ रोड गंजबासौदा विकासखण्ड गंजबासौदा प्रो. प्रशांत रघुवंशी Diploma in Agricultural Extension Services For Input Dealer मो. 8720028860	कॉन्वेंट स्कूल के पास बरेठ रोड गंजबासौदा	कॉन्वेंट स्कूल के पास बरेठ रोड गंजबासौदा	पंजीयन के साथ संलग्न सूची के अनुसार	(1) मेसर्स- पकज ट्रेडर्स, बासौदा के फुटकर विक्रेता। 2 मेसर्स- मा उमिया बायोटेक प्रा.लिमि इंदौर के फुटकर विक्रेता। 3 मेसर्स- घमण्डीलाल मूलचंद्र अग्रवाल बासौदा के फुटकर विक्रेता।

तारीख 05.08.2021

मुद्रा.....



उप संचालक किसान कल्याण एवं
कृषि विकास
जिला-विदिशा विदिशा